APCR
Association for
Protection of
Civil Rights

www.apcrindia.in

नोटिस, आस्था और न्याय

नोटिस, आस्था और न्याय

ASSOCIATION FOR PROTECTION
OF CIVIL RIGHTS (APCR)

विषयसूची

प्रस्तावना	5
फैक्ट-फाइंडिंग प्रतिनिधिमण्डल	7
जोधपुर में प्राप्त तथ्य	8
बाड़मेर एवं जैसेलमेर में तथ्य-संग्रह	9
प्रशासनिक पक्ष	12
स्थानीय समुदाय की चिंताएँ	13
अब तक शहीद की गई मस्जिदें तथा नोटिस प्राप्त धार्मिक स्थल	14
नागरिक एवं मानवाधिकार संगठनों, प्रमुख जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ	17
प्रासंगिक विधिक एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य	19
प्रारम्भिक निष्कर्ष	22
अनुशंसाएँ	23
आगे की कार्रवाई	24
APCR राजस्थान द्वारा जोधपुर उच्च न्यायालय में अब तक दायर याचिकाएं	25
अनुलग्नक	26

प्रस्तावना

16 जून 2026 की रात्रि को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर), राजस्थान को सूचना प्राप्त हुई कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अनेक मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, दरगाहों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को स्थानीय प्रशासन द्वारा बेदखली एवं अतिक्रमण संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों में संबंधित धार्मिक स्थलों को गोचर भूमि, सरकारी भूमि, खातेदारी भूमि अथवा अन्य श्रेणी की भूमि पर कथित अतिक्रमण बताते हुए अत्यंत अल्प अवधि में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताने अथवा भूमि ख़ाली करने के निर्देश दिए गए थे। अनेक मामलों में नोटिसों पर पूर्व तिथि अंकित होने के बावजूद उनकी वास्तविक तामील अंतिम समय में हुई, जिससे प्रभावित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा विधिक सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एपीसीआर राजस्थान ने तत्काल अपने प्रदेशाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया और उपलब्ध सूचनाओं का प्राथमिक सत्यापन प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् घटनाओं के तथ्यात्मक, विधिक एवं मानवीय पक्षों के सम्यक् परीक्षण हेतु एक फैक्ट-फाइंडिंग प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, जिसने बाड़मेर, जैसलमेर तथा संबंधित क्षेत्रों का दौरा कर घटनास्थलों का निरीक्षण किया और उपलब्ध तथ्यों का संकलन किया।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित नागरिकों, मस्जिद एवं मदरसा प्रबंधन समितियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से विस्तृत बातचीत की। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी नोटिसों, राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध दस्तावेज़ों, प्रकरणवार विवरणों तथा अन्य सार्वजनिक अभिलेखों का अध्ययन किया गया। जहाँ संभव हुआ, प्रशासनिक पक्ष एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी वक्तव्यों का भी परीक्षण किया गया, ताकि रिपोर्ट संतुलित, तथ्यपरक एवं निष्पक्ष आधार पर तैयार की जा सके।

जाँच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि यह मामला केवल कुछ पृथक धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, दरगाहों एवं अन्य धार्मिक परिसरों के विरुद्ध चल रही व्यापक प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित है। प्रतिनिधिमंडल को प्राप्त अभिलेखों के अनुसार अनेक धार्मिक स्थलों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए, कुछ धार्मिक स्थलों को नोटिस धारा 90A तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (3) के अंतर्गत भी दिए गए हैं। वहीं जैसलमेर जिले में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 तथा राजस्थान भू-राजस्व (अतिक्रमियों के निष्कासन) अधिनियम 1975 के अंतर्गत नोटिस दिए गए। अधिकांश नोटिसों में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक से तीन दिन तक का वास्तविक समय निर्धारित किया गया था। कई मामलों में ध्वस्तीकरण अथवा बेदखली की कार्रवाई की भी सूचना प्राप्त हुई। यह भी ज्ञात हुआ कि यह कार्रवाई केवल बाड़मेर ही नहीं बल्कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सभी जिलों में प्रस्तावित है। इन परिस्थितियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process), धार्मिक स्वतंत्रता तथा प्रशासनिक निष्पक्षता के संबंध में गंभीर प्रश्न उत्पन्न किए हैं।

यह रिपोर्ट किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेज़ों तथा लागू संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में घटनाक्रम का वस्तुनिष्ठ एवं प्रामाणिक विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। रिपोर्ट भारतीय संविधान में निहित विधि के शासन (Rule of Law), प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14), जीवन एवं न्यायोचित प्रक्रिया के अधिकार (अनुच्छेद 21) तथा धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 एवं 26) जैसे मूलभूत संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ तैयार की गई है।

एपीसीआर एक मानवाधिकार संगठन के रूप में नागरिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, विधिसम्मत प्रशासनिक प्रक्रिया, न्याय तक समान पहुँच तथा विधि के निष्पक्ष शासन के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत यह फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई है, ताकि घटनाओं का प्रामाणिक दस्तावेज़ीकरण हो सके, तथ्यों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया जा सके तथा संबंधित संवैधानिक संस्थाओं, न्यायालयों, प्रशासन, नीति-निर्माताओं और नागरिक समाज के समक्ष एक विश्वसनीय तथ्यात्मक आधार उपलब्ध कराया जा सके।

प्रतिनिधिमंडल आशा करता है कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्य, विश्लेषण एवं अनुशंसाएँ राज्य सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों, मानवाधिकार एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं, न्यायपालिका, विधि विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों तथा नागरिक समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी तथा भविष्य में किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत, उत्तरदायी और संविधानसम्मत बनाने में सहायक होंगी। साथ ही यह रिपोर्ट इस बात पर भी बल देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, भूमि प्रबंधन और विधि-प्रवर्तन जैसे राज्य के वैध उद्देश्यों की पूर्ति भी संविधान, न्यायालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ ही की जानी चाहिए।

फैक्ट-फाइंडिंग प्रतिनिधिमण्डल

19 जून 2026 को एपीसीआर राजस्थान का एक प्रतिनिधिमण्डल तथ्य-संग्रह हेतु जयपुर से रवाना हुआ। प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश महासचिव मुज़म्मिल इस्लाम रिज़वी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी, मोसूफ़ अहमद, एपीसीआर वॉलन्टियर आसिफ़ क़ुरेशी, मास्टर ज़ाकिर हुसैन, एडवोकेट अरविन्द शामिल। प्रतिनिधिमण्डल ने जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में प्रभावित पक्षों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों से मुलाक़ात कर तथ्य संकलित किए।

जोधपुर में प्राप्त तथ्य

19 जून 2026 को प्रतिनिधिमण्डल ने जोधपुर में एडवोकेट उस्मान गनी तथा पूर्व महाधिवक्ता एडवोकेट मंसूर अहमद सिद्दीक़ी से मुलाक़ात की। इसी दौरान बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील से आए हुए अनेक लोगों से जोधपुर उच्च न्यायालय परिसर में बातचीत हुई।

प्रभावित व्यक्तियों ने बताया कि:

- अनेक मस्जिदों को प्राप्त नोटिसों पर जारी करने की तिथि 11 जून 2026 अंकित थी।
- किन्तु अधिकांश नोटिस वास्तविक रूप से 17 जून 2026 की शाम को, कुछ दस्ती और अधिकांश व्हाट्स एप, तथा दीवारों पर चस्पाँ कर के तामील किए गए।
- कई मामलों में 18 जून 2026 को ही जवाब प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई।
- प्रभावित लोग निर्धारित तिथि पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अधिकारियों के कार्यालय पहुंचे, किन्तु अधिकारियों ने उनसे भेंट नहीं की।
- कई मामलों में लिखित जवाब भी स्वीकार नहीं किए गए।

यदि यह तथ्य सही हैं, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के दावे पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

बाड़मेर एवं जैसेलमेर में तथ्य-संग्रह

20 जून 2026 को प्रतिनिधिमण्डल बाड़मेर पहुंचा। जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कमाल खान के कार्यालय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की गई। इनमें डॉ. नूर मोहम्मद, पूर्व विधायक अमीन खान के पुत्र शेर मोहम्मद तथा गडरारोड के सरपंच मोहम्मद अली सहित अन्य स्थानीय व्यक्ति शामिल थे। जैसलमेर में भी स्थानीय नागरिकों से बात कर तथ्य जुटाए गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार:

- बाड़मेर एवं जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 50 से अधिक मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों एवं मज़ारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
- 18 जून से 21 जून 2026 के बीच कम-से-कम 6 मस्जिदों के ध्वस्तीकरण अथवा हटाए जाने की सूचना प्राप्त हुई।
- अधिकांश मामलों में नोटिसों की वास्तविक तामील और जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि के बीच अत्यंत कम समय था।
- प्रशासन द्वारा नोटिसों में सुनवाई का अवसर देने का उल्लेख किया गया, किन्तु प्रभावित पक्षों का आरोप है कि व्यवहार में उन्हें प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

1. बीकानेर से प्राप्त जानकारी

- प्रतिनिधिमण्डल ने बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र के स्थानीय स्रोतों से फोन पर जानकारी प्राप्त की। उनके अनुसार बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मस्जिदों, मज़ारों एवं मदरसों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुगल तहसील के बांडका गाँव तथा रावला क्षेत्र की एक मस्जिद को शहीद किया गया, जबकि पहलवान का बेड़ा, आडूरी गाँव तथा खाजूवाला–300 आर.डी. मार्ग पर स्थित कुछ मज़ारों को भी ध्वस्त किए जाने की सूचना मिली। एक छोटे मदरसे/मकतब को भी नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई।
- स्थानीय स्रोतों ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में प्रभावित पक्षों को पर्याप्त पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रातःकाल भारी पुलिस बल की उपस्थिति में कार्रवाई की गई।
- इन तथ्यों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया जा सका, तथापि बीकानेर से प्राप्त सूचनाएँ बाड़मेर एवं जैसलमेर में प्राप्त शिकायतों के समान प्रकृति की हैं और यह संकेत देती हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम धार्मिक स्थलों के संबंध में अपनाई गई प्रशासनिक प्रक्रिया की व्यापक एवं निष्पक्ष जाँच अपेक्षित है।

2. नोटिसों का परीक्षण

प्रतिनिधिमण्डल को प्राप्त नोटिसों की प्रतियों के अध्ययन से निम्न तथ्य सामने आए:

- नोटिस राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 तथा 90A के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं, कुछ धार्मिक स्थलों को नोटिस राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (3) के अंतर्गत भी दिए गए हैं। वहीं जैसलमेर जिले में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 तथा राजस्थान भू-राजस्व (अतिक्रमियों के निष्कासन) अधिनियम 1975 के अंतर्गत नोटिस दिए गए।
- अधिकांश नोटिसों पर जारी करने की तिथि 11 जून 2026 अंकित है लेकिन प्रभावित पक्षों के अनुसार नोटिस वास्तविक रूप से 17 जून 2026 की शाम को तामील किए गए।
- नोटिसों में 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया गया था।
- इस प्रकार नोटिस प्राप्त होने और सुनवाई के बीच का समय अत्यंत अल्प था, जिससे प्रभावित पक्षों को दस्तावेज़ एकत्र करने, क़ानूनी सलाह लेने और प्रभावी उत्तर तैयार करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
- नोटिसों में कथित अतिक्रमण हटाने के अतिरिक्त आर्थिक दंड तथा अन्य दंडात्मक प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।
- प्रभावित पक्षों का आरोप है कि जब वे निर्धारित तिथि पर उत्तर प्रस्तुत करने पहुँचे तो कई मामलों में न तो उनकी सुनवाई की गई और न ही उनके लिखित उत्तर स्वीकार किए गए।
- प्रतिनिधिमण्डल द्वारा परीक्षण किए गए नोटिसों से स्पष्ट है कि बाड़मेर में अधिकांश नोटिस राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गड़रारोड़ द्वारा जारी किए गए थे।
- विभिन्न नोटिसों में आरोप लगाया गया कि संबंधित मस्जिदें अथवा मदरसे गोचर भूमि अथवा अन्य राजस्व भूमि पर कथित अतिक्रमण हैं, किन्तु नोटिसों के साथ ऐसा कोई पृथक दस्तावेज़, नक्शा अथवा राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे आरोप का तत्काल परीक्षण किया जा सके।
- नोटिसों में एक ओर संबंधित पक्ष को कारण बताने के लिए कहा गया है, वहीं दूसरी ओर उसी तिथि तक भूमि ख़ाली करने का निर्देश भी दिया गया है। इससे यह आभास होता है कि निर्णय पूर्वनिर्धारित था और सुनवाई की प्रक्रिया औपचारिकता बनकर रह गई।
- अधिकांश नोटिसों में यह भी उल्लेख है कि अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय (ex parte) निर्णय कर दिया जाएगा तथा आर्थिक दण्ड एवं कारावास जैसी दण्डात्मक कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया है।
- प्रतिनिधिमण्डल को प्राप्त प्रकरणवार अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न मस्जिदों की भूमि की राजस्व स्थिति अलग-अलग है। कुछ मामलों में "खातेदारी", कुछ में "गोचर", कुछ में "आवंटन" तथा कुछ में अन्य श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। अतः सभी मामलों को एक समान मानकर कार्रवाई करना विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता।

इन परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय (Principles of Natural Justice) के अंतर्गत "सुनवाई का उचित अवसर" (Reasonable Opportunity of Hearing) प्रदान किए जाने के प्रश्न पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

3. दस्तावेज़ी अभिलेखों का परीक्षण

फैक्ट-फाइंडिंग प्रतिनिधिमण्डल को प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में एक विस्तृत प्रकरणवार सूची (Case Register) प्राप्त हुई, जिसमें बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के मस्जिदों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के विरुद्ध जारी नोटिसों का विवरण संकलित है। इस सूची में प्रत्येक प्रकरण के संबंध में नोटिस संख्या, नोटिस की तिथि, वास्तविक तामील की तिथि, तहसील, खसरा संख्या, भूमि की प्रकृति, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा वर्तमान स्थिति का विवरण उपलब्ध है। कुछ मस्जिदों की प्रकरण संख्या और ख़सरा नं. ज्ञात नहीं हो सके। अधिकांश नोटिसों में जारी करने की तारीख़ 11 जून अंकित है, जबकि प्रभावितों को ये 17 जून की शाम को प्राप्त हुए तथा परिसर ख़ाली करने या कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख़ 18 जून थी।

प्रशासनिक पक्ष

समाचार रिपोर्टों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के सार्वजनिक वक्तव्यों के अनुसार:

- यह कार्रवाई सीमा सुरक्षा तथा भूमि प्रबंधन से संबंधित "अतिक्रमण हटाओ अभियान" का हिस्सा है।
- भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर स्थित अवैध निर्माणों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है।
- प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है।
- प्रशासन का यह भी कहना है कि जिन संरचनाओं पर कार्रवाई हुई, उनके भूमि संबंधी अभिलेख अथवा आवश्यक स्वीकृतियाँ उपलब्ध नहीं थीं अथवा संतोषजनक नहीं पाई गई।
- अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि अभियान केवल मुस्लिम धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है तथा अन्य प्रकार के अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

स्थानीय समुदाय की चिंताएँ

प्रतिनिधिमण्डल को स्थानीय लोगों द्वारा निम्न प्रमुख चिंताएँ बताई गई:

(क) नोटिस प्रक्रिया पर आपत्ति

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नोटिसों पर पुरानी तिथियाँ अंकित थीं जबकि वास्तविक रूप से उन्हें अंतिम समय में वितरित किया गया। इससे क़ानूनी सहायता प्राप्त करने, अभिलेख एकत्र करने तथा उत्तर प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका।

(ख) चयनात्मक कार्रवाई का आरोप

स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में अन्य समुदायों के धार्मिक स्थल भी स्थित हैं, किन्तु अब तक की कार्रवाई मुख्यतः मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों और मज़ारों पर केंद्रित दिखाई देती है। इस आरोप की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

(ग) भय और असुरक्षा का वातावरण

प्रतिनिधिमण्डल ने पाया कि प्रभावित क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के बीच व्यापक चिंता और भय का वातावरण है। लोगों को आशंका है कि बिना पर्याप्त सुनवाई के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

(घ) धार्मिक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव

स्थानीय नागरिकों ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अनेक मस्जिदें एवं धार्मिक स्थल दशकों से स्थानीय आबादी द्वारा उपयोग में रहे हैं। इनके संबंध में अचानक और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई ने समुदाय में गहरी धार्मिक पीड़ा, असुरक्षा तथा प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न की है।

अब तक शहीद की गई मस्जिदें तथा नोटिस प्राप्त धार्मिक स्थल

प्रतिनिधिमण्डल को प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जून 2026 से 21 जून 2026 के बीच निम्न मस्जिदों को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ध्वस्त (शहीद) किए जाने की सूचना प्राप्त हुई:

अब तक शहीद मस्जिदें

क्र. सं	प्रकरण संख्या	स्थान/मस्जिद	तहसील	ज़िला	नोटिस दिनांक	तामील दिनांक	खसरा नंबर	स्थिति	दस्तावेज़	वर्तमान स्थिति
1	14	मस्जिद जामगढ़	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	122	खातेदारी	जमाबंदी	शहीद-18/06/2026
2	13/4/2025	मस्जिद मालाणा	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	1898/1894	गोचर	-	शहीद-18/06/2026
3	1315/2025	मस्जिद केरकोरी	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	1178	गैर मुमकिन गोचर	-	शहीद-18/06/2026
4	671/2025	केलन का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	46	गैर मुमकिन गोचर	-	शहीद-18/06/2026
5	44	मस्जिद सियाई	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	229/137	गैर मुमकिन आबादी	-	शहीद-18/06/2026
6		मस्जिद देवपुरा	सेड़वा	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026		-	-	शहीद-18/06/2026
7	123/25	मस्जिद मालासर	नाचना-1	जैसलमेर	26/11/2025	--/06/2026	225	आबादी	-	शहीद- 20/06/2026

बाड़मेर में नोटिस प्राप्त धार्मिक स्थल

क्र. सं	प्रकरण संख्या	स्थान/मस्जिद	तहसील	ज़िला	नोटिस दिनांक	तामील दिनांक	खसरा नंबर	स्थिति	दस्तावेज़	वर्तमान स्थिति
1	13	मस्जिद भभूते की ढाणी	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	258/12	खातेदारी	जमाबंदी	नोटिस
2	12	मस्जिद भभूते की ढाणी	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	2	खातेदारी	जमाबंदी	नोटिस
3	11	मस्जिद भभूते की ढाणी	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	301/44	खातेदारी	जमाबंदी	नोटिस
5	1	मस्जिद सादुल की गफन	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026		खातेदारी	जमाबंदी	नोटिस
6	15	मस्जिद नागोदर की बस्ती	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	668/127	खातेदारी	जमाबंदी	नोटिस
7		मस्जिद तमाची की गफन	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026		खातेदारी/हिबा	जमाबंदी	नोटिस
9		जामा मस्जिद रिखियानी	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026			-	नोटिस
10		मस्जिद बालाकर, केरकोरी	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026		गोचर	-	नोटिस
11		मस्जिद कन्टाल का पार	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	00/01/1900			-	नोटिस
12	668/2025	चांण्डियों का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	302/204	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
13		आम व् खास नागरिक रमज़ान की गफन	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	781/346	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
14		जामगढ़	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	431/115	बा.सो.	-	नोटिस
15	816	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
16	821	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
17	811	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
18	819	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
19	830	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस

क्र. सं	प्रकरण संख्या	स्थान/मस्जिद	तहसील	ज़िला	नोटिस दिनांक	तामील दिनांक	खसरा नंबर	स्थिति	दस्तावेज़	वर्तमान स्थिति
20	831	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
21	820	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
22	825	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
23	818	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
24	823	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
25	812	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
26	822	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
28	826	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
29	834	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
30	810	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
31	824	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
32	832	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
33	833	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
34	827	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
35	828	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
36	813	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
37	829	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
38	8	तमाची की गफन	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	119/26		-	नोटिस
39		हेजम का तला	चोहटन	बाड़मेर	20/11/2025		40	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
40	1	मौजा सेहलाऊ	रामसर	बाड़मेर	25/05/2026	25/05/2026	187/92	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
41	2	मौजा सुसावल का पार	रामसर	बाड़मेर	08/06/2026	08/06/2026	53	गैर मुमकिन	-	नोटिस
42	3	मौजा चाड़वा तख्ताबाद	रामसर	बाड़मेर	08/06/2026	08/06/2026	279/94	बा.सो.	-	नोटिस
43	670/2025	पांधी का पार	रामसर	बाड़मेर	24/11/2025		278/195	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
44	667/2025	मौजा विरद का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	53	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
45	6	मस्जिद सलाम पनेला	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	410/400	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
46	7	मस्जिद पनेला इसाक का पाडा	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	410/400	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
47	12	मस्जिद कादरी देताणी	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	3080/3010	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
48	9	मस्जिद हमीराणी	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	1296	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
49	8	मदरसा हमीदिया हमीराणी	गडरारोड	बाड़मेर	18/06/2026		1611/1362	खातेदारी	-	नोटिस
50	15	बरसा मस्जिद	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	1323	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
51	11	मस्जिद ताज देताणी	गडरारोड	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	2981/2525	गैर मुमकिन गोचर	-	नोटिस
52	814	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
53	815	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
54	817	मदरूप का पार	रामसर	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	29	बा.सो.	-	नोटिस
55	4	हफीदाणियों का तला	रामसर	बाड़मेर	18/06/2026		836	बा.सो.	-	नोटिस
56	9	तमाची की गफन	चोहटन	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	95/15	-	-	नोटिस
57	1	इमाम अली शाह दरगाह फागलिया	सेड़दा	बाड़मेर	11/06/2026	17/06/2026	640/308	-	-	नोटिस

जैसलमेर में नोटिस प्राप्त धार्मिक स्थल

क्र. सं	प्रकरण संख्या	स्थान/मस्जिद	तहसील	ज़िला	नोटिस दिनांक	तामील दिनांक	खसरा नंबर	स्थिति	दस्तावेज़	वर्तमान स्थिति
1		जामा मस्जिद बाहला	मोहनगढ़	जैसलमेर	16/06/2026	17/06/2026		आवंटन	-	नोटिस
2		मस्जिद सिकंदरी, बाहला	मोहनगढ़	जैसलमेर	16/06/2026	17/06/2026		आवंटन	-	नोटिस
3		मस्जिद नाचना	नाचना	जैसलमेर	16/06/2026	17/06/2026		सहकारी	-	नोटिस
4	121/26	मदरसा अल-ए -सुन्नत फेज़ -ए -लकियारी	मोहनगढ़	जैसलमेर	09/06/2026		35/27	गैर मुमकिन आबादी	-	नोटिस
5	1/2026	मदरसा अहले सुन्नत फैज़े गाउसूल हक सखर नूह मदरसा	सम	जैसलमेर	16/06/2026		81			
6	4/2026	मदरसा मोलकी उकरालापार	सम	जैसलमेर	16/06/2026					
7	3/2026	मदरसा अहले सुन्नत फैज़े रोज़े धणी	सम	जैसलमेर	17/06/2026					

उपरोक्त सूची के अनुसार:

- कुल 71 प्रकरण सूचीबद्ध हैं।
- इनमें 63 प्रकरण बाड़मेर तथा 8 प्रकरण जैसलमेर जिले से संबंधित हैं।
- बाड़मेर में 6 मस्जिदें शहीद की गई हैं तथा जैसेलमेर में एक।
- बाड़मेर में अधिकांश नोटिस 11 जून 2026 को जारी किए गए जबकि उनकी वास्तविक तामील 17 जून 2026 को हुई।
- जैसलमेर के मामलों में अधिकांश नोटिस 16 जून 2026 के हैं। शहीद की गई मालासर मस्जिद को 26 जून 2025 को नोटिस दिया गया था।
- जैसलमेर के नोटिसों में मस्जिद/मदरसा की भूमि को भारत-पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित होना बताया गया है।
- लगभग सभी नोटिसों में वार्षिक लगान का 50 गुणा तक जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है।
- अनेक मामलों में खातेदारी, जमाबंदी, आवंटन अथवा अन्य राजस्व अभिलेखों का भी उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रकरण के तथ्य समान नहीं हैं और प्रत्येक मामले का पृथक परीक्षण आवश्यक है।

प्रतिनिधिमण्डल को यह भी बताया गया कि मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों और मज़ारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा प्रभावित धार्मिक स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नोटिसों का सिलसिला जारी रहने के कारण यह एक विकसित होती हुई स्थिति (ongoing process) है, जिसके प्रभाव भविष्य में और व्यापक हो सकते हैं।

नागरिक एवं मानवाधिकार संगठनों, प्रमुख जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ

1. प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष

समाचार रिपोर्टों के अनुसार बाड़मेर एवं जैसलमेर जिला प्रशासन ने कार्रवाई को केंद्र सरकार एवं गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान तथा सीमा सुरक्षा उपायों का हिस्सा बताया है। प्रशासन का कहना है कि भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित कथित अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि भूमि प्रबंधन, सीमा सुरक्षा तथा राजस्व कानूनों के अनुपालन से संबंधित है।

प्रशासन का यह भी कहना है कि जिन संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, वे राजस्व अभिलेखों में गोचर अथवा अन्य सरकारी भूमि पर स्थित थीं तथा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से यह दावा भी किया है कि कार्रवाई केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य प्रकार के अतिक्रमणों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है।

2. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही साम्प्रदायिक सौहार्द और पारस्परिक सम्मान की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र के हिन्दू और मुस्लिम समुदाय एक-दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान करते आए हैं और 1965 तथा 1971 के युद्धों के दौरान भी स्थानीय जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

श्री गहलोत ने आरोप लगाया कि केवल मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाकर की जा रही कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और ध्रुवीकरण पैदा होने की आशंका है। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक धार्मिक स्थल दशकों पुराने हैं तथा स्थानीय हिन्दू समुदायों ने भी कई स्थानों पर इनके ध्वस्तीकरण का विरोध किया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चयनात्मक कार्रवाई सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचा सकती है।

3. कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि जिन धार्मिक स्थलों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनमें से कई को स्थानीय लोग वैध और लंबे समय से अस्तित्व में मानते हैं। उन्होंने प्रशासन से पारदर्शी जांच और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की मांग की।

बाड़मेर क्षेत्र के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद तथा अन्य स्थानीय विपक्षी नेताओं ने भी कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्र की शांति और सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से संवाद, सत्यापन और न्यायिक परीक्षण की प्रक्रिया अपनाने की मांग की।

4. वक्फ बोर्ड एवं मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया

राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों एवं वक्फ संपत्तियों को जारी किए जा रहे नोटिसों और ध्वस्तीकरण की घटनाओं को देखते हुए सभी मस्जिद प्रबंधन समितियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहिए तथा कानूनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में वैध अभिलेखों और वक्फ रिकॉर्ड की उपेक्षा की जा रही है।

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने इन कार्रवाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर आघात बताया है। संगठन के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर कहा कि यदि सदियों से अस्तित्व में रहे धार्मिक स्थलों को अचानक सुरक्षा खतरा बताया जा रहा है तो यह न्याय एवं तर्कसंगतता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं प्रतीत होता। जमीयत ने यह भी आरोप लगाया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है और इसकी न्यायिक समीक्षा आवश्यक है।

एपीसीआर तथा अन्य नागरिक अधिकार संगठनों ने इन कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि:

- पर्याप्त नोटिस अवधि प्रदान की जानी चाहिए थी।
- प्रभावित पक्षों को प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।
- ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले स्थलों के मामले में विशेष संवेदनशीलता अपेक्षित है।

कार्रवाई की प्रक्रिया पारदर्शी एवं गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए।

प्रासंगिक विधिक एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

1. राजस्थान भू-राजस्व नियमों का संदर्भ

प्रतिनिधिमण्डल के संज्ञान में राजस्थान सरकार की अधिसूचना Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes in Rural Areas) Rules, 2007 आई, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी की गई है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का भी हवाला दिया जा रहा है।

इन नियमों में "Public Utility Purpose" की परिभाषा के अंतर्गत धर्मशाला, धार्मिक स्थल, गौशाला, सार्वजनिक पार्क, वृद्धाश्रम, अनाथालय आदि को शामिल किया गया है। अर्थात राज्य के भूमि राजस्व नियम धार्मिक स्थलों को एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक उपयोग (Public Utility Purpose) की श्रेणी में स्वीकार करते हैं।

नियमों के अनुसार कृषि भूमि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग, संस्थागत उपयोग तथा अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभावित पक्षों का कहना है कि अनेक मस्जिदें और धार्मिक स्थल वर्षों अथवा दशकों से अस्तित्व में हैं तथा प्रशासन द्वारा उनके राजस्व अभिलेखों, भूमि की प्रकृति तथा संभावित वैधानिक स्थिति की समुचित जांच किए बिना सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

2. उचित प्रक्रिया और सुनवाई का अधिकार

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत जारी नोटिसों में संबंधित व्यक्तियों को कारण बताने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। प्रतिनिधिमण्डल को प्राप्त शिकायतों के अनुसार नोटिसों पर अंकित तिथि और वास्तविक तामील की तिथि में महत्वपूर्ण अंतर था तथा प्रभावित पक्षों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के मूल सिद्धांत — Audi Alteram Partem (दूसरे पक्ष को भी सुना जाए) — के विपरीत माना जा सकता है।

3. उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक अथवा निजी भूमि पर स्थित कथित अवैध निर्माणों को हटाने के मामलों में यह स्पष्ट किया है कि विध्वंस की कार्रवाई केवल विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही की जा सकती है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि:

- प्रभावित पक्ष को पर्याप्त और प्रभावी नोटिस दिया जाए।
- उसे अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का वास्तविक अवसर मिले।
- प्रशासन द्वारा पारित आदेश कारणयुक्त (Reasoned Order) हो।
- विध्वंस को दंडात्मक कार्रवाई या सामूहिक दंड के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- कानून के शासन (Rule of Law) और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के अनुरूप प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी निर्माण को अवैध मान लेने मात्र से तत्काल ध्वस्तीकरण उचित नहीं हो जाता; संबंधित व्यक्ति को कानूनी उपचार और अपील का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4. वर्तमान मामले पर प्रारम्भिक अवलोकन

प्रतिनिधिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि:

- क्या प्रभावित पक्षों को वास्तव में पर्याप्त नोटिस अवधि प्रदान की गई?
- क्या उनके लिखित उत्तर स्वीकार किए गए?
- क्या सभी मामलों में कारणयुक्त आदेश पारित किए गए?
- क्या वैकल्पिक कानूनी उपचार का अवसर उपलब्ध कराया गया?
- क्या कार्रवाई सभी समुदायों पर समान रूप से लागू की गई?

इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न बने रहते हैं।

5. नोटिसों से उत्पन्न विधिक प्रश्न

प्रतिनिधिमण्डल के समक्ष उपलब्ध मूल नोटिसों के अध्ययन से निम्न विधिक प्रश्न उभरते हैं—

- क्या वास्तविक सेवा (service of notice) और नोटिस पर अंकित तिथि के बीच छह दिन का अंतर प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है?
- क्या एक दिन से भी कम समय देना "उचित अवसर" (Reasonable Opportunity) माना जा सकता है?
- क्या नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ने संबंधित धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक अस्तित्व, वक्फ अभिलेखों अथवा अन्य राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण किया?
- क्या कारण बताने का अवसर वास्तविक था अथवा केवल औपचारिक?

इन प्रश्नों की निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा आवश्यक प्रतीत होती है।

रिपोर्ट की प्रकृति को देखते हुए यह अनुभाग तथ्यात्मक, संतुलित और विधिक होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकार परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। निम्नलिखित अनुभाग रिपोर्ट में उपयुक्त रहेगा:

राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा क्षेत्र एवं विधिसम्मत प्रक्रिया

फैक्ट-फाइंडिंग प्रतिनिधिमण्डल यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा तथा देश की संप्रभुता एवं अखंडता की सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय दायित्व है। सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारतीय सशस्त्र बल, राज्य पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ संविधान और विधि के अनुरूप इस दायित्व का निर्वहन करती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वे सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।

प्रतिनिधिमण्डल के संज्ञान में यह तथ्य भी आया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही प्रशासनिक कार्रवाइयों को अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (Border Security Force Act, 1968) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल को कुछ केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत तलाशी (Search), गिरफ्तारी (Arrest) तथा जब्ती (Seizure) जैसी सीमित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का उद्देश्य मुख्यतः सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, अवैध हथियारों तथा अन्य सीमा-संबंधी अपराधों की रोकथाम करना है।

हालाँकि, यह अधिसूचना सीमा सुरक्षा बल को भूमि विवादों के निस्तारण, राजस्व प्रशासन, निर्माण संबंधी निर्णय, धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण अथवा सामान्य नागरिक प्रशासन के अधिकार प्रदान नहीं करती। ऐसे विषय सामान्यतः राज्य सरकार, राजस्व अधिकारियों तथा अन्य सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उन पर कार्रवाई करते समय संविधान, लागू विधियों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा न्यायालयों के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

प्रतिनिधिमण्डल का मत है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सीमा प्रबंधन के कारण किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक निर्माण अथवा अन्य संपत्ति के संबंध में प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक समझी जाती है, तब भी ऐसी कार्रवाई केवल विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जानी चाहिए। प्रभावित पक्ष को पर्याप्त पूर्व सूचना, अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर तथा उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपयोग करने का समय प्रदान किया जाना विधि के शासन (Rule of Law) का मूल तत्व है।

प्रतिनिधिमण्डल यह पुनः स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार परस्पर विरोधी नहीं हैं। सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 एवं 26, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप हो। यही संतुलन सुरक्षा एजेंसियों के प्रति जनविश्वास को सुदृढ़ करता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला को भी मजबूत बनाता है।

प्रारम्भिक निष्कर्ष

फैक्ट-फाइंडिंग के दौरान प्राप्त सामग्री और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रारम्भिक निष्कर्ष सामने आते हैं:

- बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों को अत्यल्प अवधि वाले नोटिस जारी किए गए हैं।
- अनेक मामलों में नोटिसों की तामील और उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच पर्याप्त समय नहीं था।
- प्रभावित पक्षों का यह आरोप गंभीर है कि उन्हें वास्तविक सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- कार्रवाई की चयनात्मकता को लेकर स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रश्न उठ रहे हैं।
- प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अतिक्रमण हटाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है, किन्तु इसके साथ-साथ विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन भी समान रूप से आवश्यक है।
- वर्तमान परिस्थितियों में न्यायिक परीक्षण एवं स्वतंत्र जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है।
- प्रतिनिधिमण्डल को प्राप्त मूल नोटिसों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि नोटिसों की तिथि और उनकी वास्तविक तामील के बीच उल्लेखनीय अंतर था, जिसके कारण प्रभावित पक्षों को प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका।
- नोटिसों की भाषा, समय-सीमा तथा प्रक्रिया से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया (Due Process) का समुचित पालन किया गया।
- प्रतिनिधिमण्डल को प्राप्त प्रकरणवार अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि कार्रवाई सीमित या पृथक घटना नहीं बल्कि अनेक तहसीलों में फैला एक व्यापक प्रशासनिक अभियान है, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में मस्जिदों एवं धार्मिक संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रत्येक प्रकरण की राजस्व स्थिति अलग होने के कारण सभी मामलों का स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक है।

प्रतिनिधिमण्डल का मत है कि सीमा सुरक्षा और भूमि प्रबंधन राज्य के वैध उद्देश्य हो सकते हैं, किन्तु ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति भी संविधान, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही की जानी चाहिए। विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई कोई भी कार्रवाई न केवल प्रभावित नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करती है बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता और कानून के शासन के प्रति जनविश्वास को भी कमजोर करती है।

अनुशंसाएँ

एपीसीआर राजस्थान निम्न अनुशंसाएँ प्रस्तुत करता है:

1. सभी प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाई जाए जब तक कि प्रभावित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर न मिल जाए।

2. प्रत्येक मामले में नोटिस, भूमि अभिलेख एवं प्रशासनिक आदेश सार्वजनिक किए जाएँ।

3. माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में एक स्वतंत्र न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक जांच कराई जाए।

4. कार्रवाई की चयन प्रक्रिया का परीक्षण किया जाए ताकि किसी प्रकार के भेदभाव की आशंका समाप्त हो सके।

5. ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए।

6. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि सीमा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।

7. राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थलों के संबंध में चलाए जा रहे अभियान की स्वतंत्र समीक्षा कराए तथा यह सुनिश्चित करे कि किसी भी समुदाय के साथ चयनात्मक व्यवहार न हो।

8. धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों में कार्रवाई से पूर्व संबंधित समुदाय, वक्फ बोर्ड, स्थानीय निकायों तथा प्रशासन के बीच संवाद स्थापित किया जाए।

9. यदि किसी धार्मिक स्थल का स्थानांतरण अपरिहार्य हो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा समुदाय की सहमति एवं सम्मानजनक पुनर्वास की प्रक्रिया का पालन किया जाए।

आगे की कार्रवाई

एपीसीआर राजस्थान ने प्रभावित पक्षों को क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जोधपुर उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं जिनका विवरण नीचे है। पहली सुनवाई की तारीख़ 3 जुलाई 2026 थी जिसमें आगे की तारीख़ दी गई है। प्रतिनिधिमण्डल ने स्थानीय नागरिकों से शांति बनाए रखने, क़ानून सम्मत उपाय अपनाने तथा अपने अधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का सहारा लेने की अपील की।

APCR राजस्थान द्वारा जोधपुर उच्च न्यायालय मे अब तक दायर याचिकाएं:

क्र. सं.	रिट सं.	द्वारा
1	13277/2026	Ahmed
2	13437/2026	Madrsa Hamidiya
3	13453/2026	Aradeen
4	13479/2026	Hasan Khan
5	13480/2026	Pira
6	13493/2026	Ali Khan

APCR राजस्थान द्वारा जोधपुर उच्च न्यायालय में अब तक दायर याचिकाएं

APCR राजस्थान द्वारा जोधपुर उच्च न्यायालय में पीड़ितों की ओर से याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में APCR के दो अधिवक्ता एडवोकेट उस्मान ग़नी और एडवोकेट मंसूर अहमद सिद्दीक़ी और सहयोगी अधिवक्ता नि:शुल्क पैरवी कर रहे हैं।

APCR राजस्थान द्वारा जोधपुर उच्च न्यायालय में अब तक दायर याचिकाएं:

क्र. सं.	रिट सं.	द्वारा
1.	13277/2026	अहमद, अकबर, जानू, आइब, कमरदीन, शेरा
2.	13437/2026	मदरसा हमीदिया, हमीराणी
3.	13453/2026	अरादीन
4.	13479/2026	हसम ख़ान
5.	13480/2026	पीरा
6.	13493/2026	अली ख़ान
7.	13614/2026	मदरसा सिबग़तुल इस्लाम, फ़ैज़-ए-सैय्यद पीर पीरान उकरालापार
8.	13631/2026	मदरसा अहल-ए-सुन्नत, फ़ैज़-ए-गौसुल हक़, सखर नूह
9.	13633/2026	मदरसा अहल-ए-सुन्नत, फ़ैज़-ए-गौसुल हक़, सखर नूह
10.	13311/2026	जमनशाह
11.	14305/2026	मस्जिद मीरा ख़ान की ढाणी, पाबूसरी
12.	14268/2026	मस्जिद पनेला इसहाक का पाड़ा
13.	14182/2026	हकीम ख़ान
14.	14172/2026	अकबर
15.	14144/2026	मस्जिद क़ादरी, देताणी
16.	14058/2026	अमीर अली
17.	14024/2026	शौकत
18.	14006/2026	मस्जिद ताज, देताणी
19.	13450/2026	सोबदार

नोट: प्रभावितों को प्राप्त नोटिसों की प्रतियां, फ़ोटो तथा अन्य जरूरी दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न हैं।

अनुलग्नक

1. मालासर, जैसेलमेर में शहीद की गई मस्जिद

2. अन्य मस्जिदें

3. एपीसीआर प्रतिनिधि मण्डल

4. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस

[illegible] सरकार

राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

कमांक-प0 6(6)राज.-6/92पार्ट III/19 जयपुर,दिनांक:- 20.10.2005

समस्त जिला कलेक्टर।

::परिपत्र::

विषय:-भू-राजस्व रिकार्ड में आवास व अन्य परिसर का अंकन के संबंध में।

सन्दर्भ:-इस विभाग का पूर्व पत्रांक: प.6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 26.11.2004

महोदय,

उपरोक्त विषय में पूर्व में जारी प्रासंगिक पत्र के कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन)नियम,1992 के नियम 5 व 5क के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों द्वारा उक्त नियमों में वर्णित सीमा तक अपनी खातेदारी भूमि के भाग का आवासीय, पशु उपयोग एवं भंडारण एवं लघु उधोग हेतु बिना शुल्क भूमि का संपरिवर्तन कराया जा सकता है एवं इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 67 के तहत काश्तकारों द्वारा अपनी कुल भूमि के 1/50 भाग का आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है। इन नियमों मे निहित सीमा व शर्तो तक काश्तकारों ने अपनी भूमि का जो भाग अकृषि में उपरोक्त उद्धेश्य हेतु उपयोग कर लिया है उसका अंकन उसी समय राजस्व रिकार्ड मे किया जा सकता है व यदि उससे अधिक हो तो बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि मे परिवर्तन के मामले तैयार किये जा सकते है ताकि काश्तकार चाहे तो नियमानुसार अकृषि में परिवर्तन करा ले या अतिकमण हटाये।उपरोक्तानुसार सभी निर्देश सभी जिला कलेक्टर को समसंख्यक पत्र दिनांक 2.12.04 द्वारा जारी किये गये थे। परन्तु चूंकि वह प्रशासन आपके द्वार अभियान हेतु जारी किये गये थे, अतः पुनः जारी किये जा रहे है।

आज्ञा से,

19.X.2005

शासन उपसचिव,राजस्व

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1686 (E), dated the 3rd July, 2014, namely: -

In the said notification, for the "Schedule", the following "Schedule" shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE

The whole of the area comprised in the States of Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Meghalaya and Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh and so much of the area comprised within a belt of fifty kilometers in the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal and Assam, running along the borders of India".

[F. No. 45020/2/2021-Legal-II (CF No. 3519713)]

SUDHESH KUMAR SHAHI, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1686 (E) dated the 3rd July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4197(अ.).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 3996 (अ.) तारीख 22 सितंबर, 1969 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित "अनुसूची" रखी जाएगी अर्थात्:–

"अनुसूची

मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट समस्त क्षेत्र तथा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में भारत की सीमाओं से लगी हुई पचास किलोमीटर की पट्टिका के भीतर समाविष्ट क्षेत्र"।

[फा.सं. 45020/2/2021-विधिक-II (सी.एफ. सं. 3519713)]

सुधेश कुमार शाही, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 3996 (अ) तारीख 22 सितंबर, 1969 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4197(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 3996 (E), dated the 22nd September, 1969, namely: -

In the said notification, for the "Schedule", the following "Schedule" shall be substituted, namely: -

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230337
CG-DL-E-11102021-230337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3853] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2021/ आश्विन 19, 1943
No. 3853] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2021/ ASVINA 19, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4196(अ.).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 1686 (अ) तारीख 3 जुलाई, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 3, उप–खंड (ii) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित "अनुसूची" रखी जाएगी अर्थात्:–

"अनुसूची

मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों तथा जम्मू–कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट समस्त क्षेत्र तथा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में भारत की सीमाओं से लगी हुई पचास किलोमीटर की पट्टिका के भीतर समाविष्ट क्षेत्र"।

[फा. सं. 45020/2/2021-विधिक-II (सी.एफ. सं. 3519713)]

सुधेश कुमार शाही, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 1686 (अ) तारीख 3 जुलाई, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप–खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

"SCHEDULE

The whole of the area comprised in the States of Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Meghalaya and Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh and so much of the area comprised within a belt of fifty kilometers in the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal and Assam, running along the borders of India".

[F. No. 45020/2/2021-Legal-II (CF No. 3519713)]

SUDHESH KUMAR SHAHI, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 3996 (E), dated the 22nd September, 1969.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4198(अ.).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 1318 (अ.) तारीख 11 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित "अनुसूची" रखी जाएगी अर्थात्:–

"अनुसूची

मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट समस्त क्षेत्र तथा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में भारत की सीमाओं से लगी हुई पचास किलोमीटर की पट्टिका के भीतर समाविष्ट क्षेत्र"।

[फा.सं. 45020/2/2021-विधिक-II (सी.एफ. सं. 3519713)]

सुधेश कुमार शाही, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 1318 (अ) तारीख 11 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1318 (E), dated the 11th June, 2012, namely: -

In the said notification, for the "Schedule", the following "Schedule" shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE

The whole of the area comprised in the States of Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Meghalaya and Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh and so much of the area comprised within a belt of fifty kilometers in the States of Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal and Assam, running along the borders of India".

[F. No. 45020/2/2021-Legal-II (CF No. 3519713)]

SUDHESH KUMAR SHAHI, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1318 (E), dated the 11th June, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: 01 /2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती अकबर पुत्र सायर, इदु पत्नी हनीफ, कासम पुत्र अरबाब, खंगार पुत्र अरबाब, ना. गनी पुत्र हनीफ, दायम पुत्र अरबाब, नवाब पुत्र सायर, ना. सिकंदर पुत्र हनीफ

जाती सिंधी मुसलमान

निवासी सादुल की गफन

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम सादुल की गफन तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या 212/98 रकबा 10.7484 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का उमरकी की गफन द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: [illegible] /2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती [illegible] पुत्र [illegible]

जाती [illegible]

निवासी तमाची की गफन

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम तमाची की गफन तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का ओगालिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18/06/2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: 08/2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती एहदी/अजीम, जामीन/तैयब, आइदान/तैयब, हनीफ/[illegible], इब्ना/इमराण/हमीद/तैयब

जाती सिंधी मुसलमान

निवासी तमाची की गफन

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम तमाची की गफन तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या 119/26 रकबा 12.1406 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का ओगालिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18/06/2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: 11 /2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती [illegible]

जाती सिंधी मुसलमान

निवासी [illegible]

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम [illegible] तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या 801/44 रकबा [illegible].1353 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का रमजान की गफन द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: 18 /2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती उमरदीन पुत्र सुला वगैरह।

जाती सिंधी मुसलमान

निवासी अभुते की ढाणी

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम अभुते की ढाणी तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या 2 रकबा 3.7069 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का रमजान की गफन द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: 14 /2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती जानू पुत्र ताज वगैरह।

जाती सिंधी मुसलमान

निवासी आमगढ़

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम आमगढ़ तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या 199 रकबा 7.4580 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का रमजान की गफन द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: 13 /2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती होथी पुत्र सिकार वगैरह।

जाती सिंधी मुसलमान

निवासी अभुते की ढाणी

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम अभुते की ढाणी तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या 233/12 रकबा 3.3781 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का रमजान की गफन द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या: 15 /2026

नोटिस

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रति,

श्री/श्रीमती आमद पुत्र खैरी वगैरह।

जाती सिंधी मुसलमान

निवासी नागोदर की बस्ती

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम नागोदर की बस्ती तहसील चौहटन स्थित खसरा संख्या 668/128 रकबा 1.6395 हेक्टेयर भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार में दर्ज है, पर एक मस्जिद निर्मित/स्थापित पाई गई है।

पटवारी हल्का रमजान की गफन द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

दिनांक: 11/06/2026

स्थान: चौहटन

तहसीलदार चौहटन

फार्म (ए)
(नियम देखिये 3)
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

: नोटिस :

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर
राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का .... बनाम ....
मु.न. 650/20.25

इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता हैं कि आपने संवत् 2082 में तहसील चौहटन के राजस्व ग्राम .... खसरा संख्या 40 रकबा 1.7401 हैक्टेयर बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 0.1295 बीघा, राजकीय बिला कब्जा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण किया है।

अतः आप दिनांक 27/11/2025 तक अपना उक्त अनाधिकृत कब्जा हटा लेवें या दिनांक 28/11/2025 को प्रातः 10.00बजे बमुकाम चौहटन पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होकर वजह जाहिर करें कि क्यों न आपके द्वारा उक्त किये गये अतिक्रमण के आप पर वार्षिक लगान या एसेसमेंट का 50 गुणा तक जुर्माना आरोपित किया जावें।

आपके द्वारा उक्त भूमि पर संवत् — में भी अनाधिकृत रूप से कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण किया गया था। तत्पश्चात पुनः इसी भूमी पर संवत् 20.82 में अतिक्रमण पाये जाने पर क्यो न आपको सिविल कारावास अवधि तीन माह एवं जुर्माना या दोनों सजाएं दी जावे।

ध्यान रहे कि आपके द्वारा बावजूद नोटिस/सूचना के निश्चित स्थान/तारीख को तय समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपकी गैर हाजरी में भी प्रकरण में सुनवाई कर एक पक्षीय आदेश/निर्णय पारित कर दिया जावेगा।

उक्त नोटिस आज दिनांक 20/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया जाता है।

तहसीलदार चौहटन जिला-बाड़मेर

तहसीलदार चौहटन
तहसीलदार/नायब तहसीलदार, चौहटन

फार्म (ए)
(नियम देखिये 3)
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत

:नोटिस:

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर
राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का रमजान की गफन बनाम ....
मु.नं. 652/2026

इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आपने संवत 2083 में तहसील चौहटन के राजस्व ग्राम रमजान की गफन खसरा सं. 781/346 रकबा 19-10 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 0-03 बीघा, राजकीय बिला कब्जा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा / काश्त कर अतिक्रमण किया है।

अतः आप दिनांक 18.06.2026 तक अपना उक्त अनाधिकृत कब्जा हटा लेवें या दिनांक 18.06.2026 को प्रातः 10 बजे बमुकाम चौहटन पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होकर वजह जाहिर करें कि क्यों न आपके द्वारा उक्त किये गये अतिक्रमण के आप पर वार्षिक लगान या एसेसमेंट का 50 गुणा तक जुर्माना आरोपित किया जावें।

आपके द्वारा उक्त भूमि पर संवत — में भी अनाधिकृत रूप से कब्जा / काश्त कर अतिक्रमण किया गया था। तत्पश्चात पुनः इसी भूमि पर संवत — में अतिक्रमण पाये जाने पर क्यों न आपको सिविल कारावास अवधि तीन माह एवं जुर्माना या दोनों सजाएं दी जावे।

ध्यान रहे कि आपके द्वारा बावजूद नोटिस /सूचना के निश्चित स्थान /तारीख को तय समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपकी गैर हाजरी में भी प्रकरण में सुनवाई कर एक पक्षीय आदेश / निर्णय पारित कर दिया जायेगा।

उक्त नोटिस आज दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया जाता है।

11.6.2026

तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन
नायब तहसीलदार चौहटन

फार्म (ए)
(नियम देखिये 3)
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत

:नोटिस:

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर
राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का रमजान की गफन बनाम सुभान S/O इमार
मु.नं. 651/2026

इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आपने संवत 2083 में तहसील चौहटन के राजस्व ग्राम .... खसरा सं. 431/115 रकबा 9-09 बीघा किस्म .... में से 0-03 बीघा, राजकीय बिला कब्जा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा / काश्त कर अतिक्रमण किया है।

अतः आप दिनांक 18.06.2026 तक अपना उक्त अनाधिकृत कब्जा हटा लेवें या दिनांक 18.06.2026 को प्रातः 10 बजे बमुकाम चौहटन पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होकर वजह जाहिर करें कि क्यों न आपके द्वारा उक्त किये गये अतिक्रमण के आप पर वार्षिक लगान या एसेसमेंट का 50 गुणा तक जुर्माना आरोपित किया जावें।

आपके द्वारा उक्त भूमि पर संवत - में भी अनाधिकृत रूप से कब्जा / काश्त कर अतिक्रमण किया गया था। तत्पश्चात पुनः इसी भूमि पर संवत - में अतिक्रमण पाये जाने पर क्यों न आपको सिविल कारावास अवधि तीन माह एवं जुर्माना या दानों सजाएं दी जाये।

ध्यान रहे कि आपके द्वारा बावजूद नोटिस /सूचना के निश्चित स्थान /तारीख को तय समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपकी गैर हाजरी में भी प्रकरण में सुनवाई कर एक पक्षीय आदेश / निर्णय पारित कर दिया जायेगा।

उक्त नोटिस आज दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया जाता है।

11.6.2026

तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन
नायब तहसीलदार, चौहटन

–:: नोटिस ::–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत
(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये, पटवारी हल्का गरडिया		सखरूदीन पुत्र हमीर जाति मुसलमान निवासी सेहलाउ तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या – 01 / 2026

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा सेहलाउ के खसरा नंबर 187 / 92 किस्म गैर मुमकिन गौचर में रकबा 0.0910 हैक्टेयर भूमि पर मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 05.06.2026 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे। आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
तहसीलदार, रामसर

—:: नोटिस ::—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी बनाम

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का [illegible]

तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या – 02/2026

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा [illegible] के खसरा नंबर 53 किस्म [illegible] में रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि पर [illegible] बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 15.06.2026 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे। आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 08.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर

तहसीलदार, रामसर

—:: नोटिस ::—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का [illegible]

[illegible] हाफिजाणियों की ढाणी

तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या – 01/2026

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा हाफिजाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 856/423 किस्म [illegible] में रकबा 0.0045 हैक्टेयर भूमि पर [illegible] बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 22/06/2026 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जाये। आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 18/6/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर

Scanned with OKEN Scanner

—:: नोटिस ::—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का [illegible]

[illegible]

तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या – 03/2026

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा [illegible] के खसरा नंबर 279/94 किस्म [illegible] में रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि पर [illegible] बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 15.06.2026 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे। आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 08.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर

तहसीलदार, रामसर

कार्यालय ग्राम पंचायत सियाई, पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर

क्रमांक 64 दिनांक 11/06/2026

।।नोटिस।।

प्रेषित –

श्रीमान सुभान पुत्र [illegible]

[illegible] निवासी – अजीमाणी

[illegible] मस्जिद, राजस्व ग्राम नई सियाई ग्राम सियाई तहसील रामसर।

विषय – ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अवैध रूप से स्थापित मस्जिद के संबंध में।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार राजस्व ग्राम नई सियाई के खसरा संख्या 229/137 कुल रकबा 0.0112 हैक्टेयर भूमि श्रेणी गैमु आबादी पर आप द्वारा अवैध मस्जिद भवन निर्माण करवाकर अतिक्रमण कर रखा है।

अतः आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर अथवा दिनांक 18.06.2026 [illegible] तक इस मस्जिद या संबंधित भूमि पर अपने कब्जे/निर्माण के संबंध में वैध [illegible] दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें अन्यथा निर्माण अवैध मानते हुए एक तरफा कार्यवाही कर इस अवैध ढांचे को हटा दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

(सुरेश कुमार)

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत सियाई

पं.स. रामसर (बाड़मेर)

क्रमांक 65 दिनांक : 11/06/2026

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्रीमान विकास अधिकारी पं.स. रामसर।
2. श्रीमान तहसीलदार तहसील रामसर।
3. श्रीमान सरपंच/प्रशासक ग्रा.पं. सियाई।
4. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार)

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत सियाई

पं.स. रामसर (बाड़मेर)

—:: नोटिस ::—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का [illegible] का पार

[illegible] पुत्र [illegible]
कौम मुसलमान निवासी [illegible] का पार

तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या – 6[illegible]/2025

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा [illegible] का पार के खसरा नंबर 53 किस्म गै.मु.मौसम रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि पर मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18/6/26 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

आपसे यह हेतुक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 11/6/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर

तहसीलदार, रामसर

—:: नोटिस ::—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का पांची का पार

मौलाना हमीदुल्ला S/o वली मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी पांची का पार

तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या 670/2025

राज्य सरकार के जरिये सर्वश्री मौलाना हमीदुल्ला
पुत्र वली मोहम्मद कौम मुसलमान
निवासी पांची का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा पांची का पार के खसरा नंबर 278/195 किस्म गै. मु. मौसम में रकबा 0.0232 हैक्टेयर भूमि पर मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 11/12/2025 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे। आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर सवंत् 2082 के दौरान अतिकमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान में रहे कि आपने इस भूमि पर संवत् ________ में अतिकमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्‌वर्ती अतिकमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर

तहसीलदार एवं [illegible]
रामसर जिला–बाड़मेर

—:: नोटिस ::—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का चाडवा गफलाबाद

[illegible] पुत्र [illegible] जाति
मुसलमान नि. चान्दासिंघ का पार

तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या – 668/2025

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा चाडवा गफलाबाद के खसरा नंबर 302/204 किस्म गै.मु.मौ. में रकबा 0.0125 हैक्टेयर भूमि पर मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18/6/26 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे। आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 11/6/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर

तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN S

—:: नोटिस ::—

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(देखिये नियम 03)

न्यायालय तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का केजड़ का पार

[illegible], करीम/खिलमान
कौम मुसलमान निवासी केजड़ का पार

तहसील रामसर जिला बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या – 671/2025

आप द्वारा तहसील रामसर के मौजा केजड़ का पार के खसरा नंबर 46 किस्म गै.मु.मौ. में रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि पर मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया है।

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अग्रलिखित पेशी दिनांक से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18/6/26 को इस न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे। आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपको असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

बमुकाम रामसर रखी गई है। नोटिस आज दिनांक 11/6/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार (भ.अ.) रामसर
तहसीलदार रामसर

Scanned with OKEN Scan

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/810 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– अमुब पुत्र फजल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर.

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर-29 रकबा- 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/812 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– एलमा पत्नि फजल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/811 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– अरबाब पुत्र जुमब

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर-29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/813 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– कमरुदीन पुत्र सूमार

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 814 दिनांक – 11/6/26

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित –
औसारखाँ पुत्र फजला के
कायम मुकाम असरफ, कासब, बरकत, मुनीर, साबिर
जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नही होता है अथवा आप उपस्थित नही होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 816 दिनांक – 11/6/26

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
नूरा पुत्र हासम
जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 815 दिनांक – 11/6/26

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
जानु पुत्र पनु
जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नही होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 817 दिनांक – 11/6/26

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
नवाब खाँ पुत्र फजला
जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार मे दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध मे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नही है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करे।

यदि निर्धारित अवधि मे आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नही होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 818 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
निहाल पुत्र जमाल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का मागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 820 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
मोहेब पुत्र जमाल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का मागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 819 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
मलूक पुत्र जमाल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का मागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/ 821 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
मोहम्मद पुत्र जुमा

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का मागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग-मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व / 2026 / 822 दिनांक – 11/06/202

–:: नोटिस ::–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

रेखा पत्नि जुमब

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व / 2026 / 824 दिनांक – 11/06/26

–:: नोटिस ::–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

रहीम पुत्र सुमार

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व / 2026 / 823 दिनांक – 11/06/2026

–:: नोटिस ::–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

रमजान पुत्र पनु के कायम मुकाम
इस्लाम, शौकत, अली, सात्तार, किस्मार्ई

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व / 2026 / 825 दिनांक – 11/06/2026

–:: नोटिस ::–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

रोशन पुत्र जुमब

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/826 दिनांक – 11/6/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

लतीफ पुत्र फजल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/828 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

सराजदीन पुत्र हासम

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध मे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/827 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

सफी पुत्र पन्नु

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध मे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/829 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–

सरीफ पुत्र अमाल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सां. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनाक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/830 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– रसिन्धल पुत्र जुमब

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का नागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि किनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/832 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– हसू पत्नी सूमार के कायम मुकाम रहीम कमरुदीन

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का नागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/831 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– हलीमा पत्नी जमाल

जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का नागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/833 दिनांक – 11/06/2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :– हुसैन पुत्र पतु

जाति मुसलमान निवासी, मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि जो आपके संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज है पर एक मस्जिद व 28 रहवासीय मकान निर्मित/स्थापित पाये गये है।

पटवारी हल्का नागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामसर (जिला बाड़मेर)

क्रमांक –राजस्व/2026/834 — दिनांक – 11.06.2026

–: नोटिस :–

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत)

प्रेषित :–
गौलवी कुरबान खान (हिदायतकर्ता)
जाति मुसलमान निवासी मदरूप का पार
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

यहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम गदरूप का पार के खसरा नंबर 29 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सों. भूमि पर आप द्वारा एक मस्जिद निर्मित/स्थापित/संचालित पायी गई है।

पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त खातेदारी कृषि भूमि अयुब पुत्र फजल वगैरा निवासीयान गदरूप का पार की है। उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति /अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 18.06.2026 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा आप उपस्थित नहीं होते है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधर पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।

यह नोटिस दिनांक 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

तहसीलदार रामसर
जिला बाड़मेर
तहसीलदार, रामसर

प्रपत्र "क" (नियम 3)

नोटिस

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
जरिये पटवारी हल्का तामलोर

बनाम

विप्रार्थी
मस्जिद पनेला (इसाक का पाडा)
जरिए मौलवी अनवर खान/इब्राहिम
खान मुसलमान, नि0 पनेला

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 — प्रकरण संख्या 07/2026

मस्जिद पनेला (इसाक का पाडा) जरिए मौलवी अनवर खान/इब्राहिम खान मुसलमान, नि0 पनेला

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम पनेला के खसरा नंबर 410/400 रकबा 104.1415 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर में क्षैत्रफल 900 वर्ग फिट पर अतिक्रमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 18-06-26 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18-06-26 को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर संवत् 2083 के दौरान अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत् .... मे अतिक्रमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने मे आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक 11-06-26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

प्रपत्र "क" (नियम 3)

नोटिस

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
पटवारी हल्का तामलोर

बनाम

विप्रार्थी
मस्जिद सलाम पनेला
जरिए मौलवी हैदर खान/जाम खान
मुसलमान, नि0 पनेला

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 — प्रकरण संख्या 06/2026

मस्जिद सलाम पनेला जरिए मौलवी हैदर खान/जाम खान मुसलमान, नि0 पनेला

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम पनेला के खसरा नंबर 410/400 रकबा 104.1415 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर में क्षैत्रफल 3400 वर्ग फिट पर अतिक्रमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 18-06-26 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18-06-26 को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर संवत् 2083 के दौरान अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत् .... में अतिक्रमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक 11-06-26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्रपत्र "क" (नियम 3)

नोटिस

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
जरिये पटवारी हल्का तामलोर

बनाम

विप्रार्थी
मस्जिद पनेला (इसाक का पाडा) जरिए मौलवी अनवर खान पुत्र इब्राहीम खान जाति–मुसलमान, नि0 पनेला

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 — प्रकरण संख्या 07/2026

मस्जिद पनेला (इसाक का पाडा) जरिए मौलवी अनवर खान पुत्र इब्राहीम खान जाति – मुसलमान, नि0 पनेला

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम पनेला के खसरा नंबर 410/400 रकबा 104.1415 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में क्षेत्रफल 900 वर्गफिट पर अतिक्रमण किया है। इस संबंध में आपको पूर्व में दिनांक 11.06.2026 को नोटिस दिया जा चूका है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 22-06-26 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 22-06-26 को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर संवत् —— के दौरान अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत् ...... में अतिक्रमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक 18-06-26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

अनवर खान

तहसीलदार गड़रारोड़

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या :- 8/2026

नोटिस
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए के अंतर्गत)

प्रति

श्री/श्रीमति अध्यक्ष मदरसा हमीदिया हमीराणी मीर हसान पुत्र धनेसर जाति-मुसलमान, नि0 हमीराणी चौरा (संलग्न जमाबंदी अनुसार) तह0 गडरारोड

जहां यह प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम हमीराणी, तहसील गडरारोड स्थित खसरा नम्बर 1611/1362 रकबा 0.4856 हैक्टेयर अतिक्रमित रकबा 52260 वर्गफीट भूमि, जो आपके खातेदारी अधिकार मे दर्ज है, पर एक मस्जिद/मदरसा निर्मित या स्थापित पाई गई है।

हल्का पटवारी ...जैसिन्धर गांव... द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन मे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का उपयोग मूल प्रयोजन से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा इस संबंध मे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः आपको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि दिनांक 23/6/26 को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा संबंधित दस्तावेज/अनुमतियां प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि मे आपका उत्तर प्राप्त नही होता है अथवा आप उपस्थित नही होते है, तो उपलब्ध अभिलेखो एव तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की रहेगी।

नोटिस आज दिनांक 18/6/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

प्रारूप "क" (देखिये नियम 3)

नोटिस
न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
जरिये पटवारी हल्का राणासर

बनाम

विप्रार्थी
मस्जिद ताज देताणी केसरा खां/इस्माइल खा हितबद्ध व्यक्ति जो ज्ञात नहीं

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या ..11..../2026

मस्जिद ताज देताणी केसरा खां/इस्माइल खा हितबद्ध व्यक्ति जो ज्ञात नहीं

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम देताणी के खसरा नंबर 2981/2525 रकबा 41.2131 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर में क्षेत्रफल 1000 वर्ग फिट पर अतिक्रमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक ..18-06-26. से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक ..18-06-26.. को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करें कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर संवत् 2083 के दौरान अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत् .... में अतिक्रमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने बावत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक ..11-06-26..को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

Scanned with OKEN Scanne

प्रारूप क(देखिये नियम 3)

नोटिस
न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
पटवारी हल्का जैसिन्धर गांव

बनाम

विप्रार्थी
सोबदार/अलू खान

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या 09/2026
/2026

श्री सोबदार पुत्र अलू खान जाति मुसलमान निवासी हमीराणी

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम हमीराणी ...... के खसरा नंबर 1296 ......किस्म गै.मु. गोचर में क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 18.6.26 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक ...18.6.26... को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर सवत् 2080 के दौरान अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत्......—......में अतिक्रमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक 11.6.26....... को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार गड़रारोड

प्रारूप "क"(देखिये नियम 3)

नोटिस
न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
जरिये पटवारी हल्का राणासर

बनाम

विप्रार्थी
मस्जिद कादरी देताणी अजीज खां पुत्र अबन खा हितबद्ध व्यक्ति जो ज्ञात नहीं

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या ..12../2026

मस्जिद कादरी देताणी अजीज खां पुत्र अबन खा हितबद्ध व्यक्ति जो ज्ञात नहीं

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम देताणी के खसरा नंबर 3080/3010 रकबा 87.1448 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर में क्षैत्रफल 600 वर्ग फिट पर अतिक्रमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक .18-06-26 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक ...18-06-26... को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर सवत् 2083 के दौरान अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत् —..... में अतिक्रमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने बावत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक ..11-06-26...को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

Scanned with OKEN Scanne

नोटिस

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
पटवारी हल्का शहदाद का पार

बनाम

विप्रार्थी
बरसा मस्जिद
(जरिये स्थानीय मौलवी)

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या 15/2020

1. श्री इरफान पुत्र इस्माईलखां जाति मुसलमान निवासी बखतपुरा
2. हितबद्ध (जिसका नाम ज्ञात नहीं)

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम बखतपुरा के खसरा नंबर 1323 रकबा 37.0772 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में क्षेत्रफल 0.0111 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 18.06.26 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18.06.26 ______ को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर सवत् 2080 के दौरान अतिक्रमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत् ......—......में अतिक्रमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने बावत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 11.06.26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

AIScanner

नोटिस

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
जरिये पटवारी हल्का जैसिन्धर स्टेशन

बनाम

विप्रार्थी
हिसामुद्दीन पुत्र हाकम खान

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या 1315/2025

हिसामुदीन पुत्र हाकमदान, जाति–मुसलमान,नि0 केरकोरी तह0 गडरारोड

आप द्वारा तहसील गडरारोड के ग्राम केरकोरी के खसरा नबर 1178 किस्म गै.मु. गोचर में क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर पर अतिकमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 18-6-2026 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18-6-2026 को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर सवत् 2083 के दौरान अतिकमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत् ...—... में अतिकमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिकमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार मे सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक 11-6-2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

नोटिस

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
पटवारी हल्का ओंगाणी [illegible]

बनाम

विप्रार्थी
मारूफ/अमर

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या 1314/2025
/2026

श्री मारूफ पुत्र अमर जाति मुसलमान निवासी मालाणा

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम मालाणा के खसरा नंबर 1898/1894 किस्म गै.मु. गोचर में क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट हैक्टेयर पर अतिकमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 18.6.26 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 18.6.26 को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर सवत् 2080 के दौरान अतिकमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जांये कि आपने इस भूमि पर संवत्.......................में अतिकमण किया था। नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिकमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक 11.6.26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

नोटिस

न्यायालय नायब तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
पटवारी हल्का जैसिन्धर स्टेशन

बनाम

विप्रार्थी
हिसामुद्दीन s/o हाकम खा[n]

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या 1315/2025

श्री हिसामुद्दीन पुत्र हाकमखान जाति मुसलमान निवासी केरकोरी

आप द्वारा तहसील गड़रारोड़ के ग्राम केरकोरी के खसरा नंबर 1172 किस्म गै.मु.गोचर में क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर पर मस्जिद बना कर अतिकमण किया है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 26/11/2025 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 26/11/2025 को इस न्यायालय में 10 बजे हाजिर होवे तथा यह हेतूक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जाये।

आपसे यह हेतूक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर सवत् 2082 के दौरान अतिकमण करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये।

यह और ध्यान रखा जाये कि आपने इस भूमि पर संवत्.........—.........में अतिकमण किया था नोटिस आपको पश्चात्वर्ती अतिकमण करने बाबत दिया जा रहा है, आपसे यह हेतूक दर्शित करने को कि आपको तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जावे तथा वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति संदाय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय, तथा स्थान पर हाजिर होने में आप असफल होने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

नोटिस आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया

नायब तहसीलदार
गड़रारोड़

श्रीमान तहसीलदार महोदय
न्यायालय जिला जैसलमेर
बनाम

सरकार जरिये
पटवारी हल्का सदराऊ

अप्रार्थी
इमामुद्दीन

प्रकरण संख्या – 01/2026

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

विषय – नोटिस दिनांक 11.06.2026 का विस्तृत जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय व पटवारी की निरीक्षण रिपोर्ट/दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदयजी,

निवेदन अप्रार्थी की ओर से यह है कि :-

1. यह है कि अप्रार्थी को न्यायालय आपश्री द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो का नोटिस दिनांक 11.06.2026 को जारी कर कल दिनांक 17.06.2026 को अवकाश के दिन शाम 05.00 बजे के पश्चात अत्यन्त कम समय में दिया गया है जिसमें दिनांक 18.06.2026 को 10.00 बजे जवाब हेतु पेश होना जाहिर किया है। जिसके साथ हल्का पटवारी की मौका फर्द अथवा परिवाद या सीमाज्ञान की रिपोर्ट संलग्न नही है।
2. यह है कि अप्रार्थी उपरोक्त नोटिस का लिखित एवं विस्तृत जवाब देना चाहता है और यह साबित करने के लिए अपने सभी राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस, पुरानी जमाबन्दीया प्रस्तुत करना चाहता है तथा कानूनी सलाह लेने के लिए भी पर्याप्त समय नही दिया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है एवं निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लघन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी Demolition of structures के संबंध में दिनांक 13.11.2024 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसमें प्रार्थी को सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिऐ। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है।
3. यह है कि यदि हमारा उक्त अतिकमण सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, रेल्वे लाईन, नदी या जल निकायो पर किया गया है तो इसके सम्बन्ध में पटवारी की मौका फर्द उपलब्ध करवाई जाए तथा किसी ग्रामीण की शिकायत पर अतिक्रमण से व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो तो इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मेहरबानी करावे ताकि मै प्रार्थी विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर सकूं।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नोटिस का विस्तृत जवाब देने हेतु परिवाद, मौका फर्द, सीमाज्ञान रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की कृपा करावे तथा मुझ अप्रार्थी को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश की पालना अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15–30 दिन का पर्याप्त समय देने की कृपा करावे।

इति दिनांक – 18.06.2026

अप्रार्थी

Scanned with OKEN Sca

प्रारूप – क
(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 व सपठित धारा 23 व 24 के अधीन नोटिस

न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 01/2026 वर्ष 2026–27 संवत 2083

राजस्थान सरकार बनाम :– संचालक/प्रबंधक, (मदरसा अहले सुन्नत फैजे गाउसूल हक सखर नूह मदरसा, चगाणियों की बस्ती, सम) रामतूला खां पुत्र इब्राहिम कौम मुसलमान साकिन चंगाणियों की बस्ती, सम, जैसलमेर

यतः आपने उपनिवेशन तहसील जैसलमेर के चक/ग्राम चगाणियों की बस्ती खसरा न/मुरब्बा न. 81 जोकि सरकारी भूमि के दर्ज है जिस पर आप द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना संस्था के नाम भूमि आंवटित करवाये लगभग 2000 वर्ग फीट पर नाजायज पक्के तामिर निर्मित कर अवैध मदरसा/मस्जिद चलाया जा रहा है उक्त भूमि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में स्थित है तथा आप द्वारा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन एवं इस विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई हैं। उक्त भूमि भारत पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर में स्थित है।

अतः जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 30.06.2026 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें एवं पक्का निर्माण स्वयं ही हटा ले अथवा स्वंय या प्लीडर द्वारा दिनांक 30.06.2026 को 10.00 बजे पूर्वाह्न न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर में हाजिर होवें। तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जायें। आप से हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त अतिचार करने के लिए आप पर क्यो न शास्ति अधिरोपित की जायें। एवं क्यो न अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा एवं राजस्थान भू राजस्व (अतिकमणियों के निष्कासन) नियम 1975 एवं अन्य नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजरी में विनिश्चित किया जावेगा। एवं किया गया समस्त अतिकमण जब्त कर लिया जावेगा।

यह नोटिस आज दिनांक 16.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मोहर

तहसीलदार
उपनिवेशन तहसील जैसलमेर

प्रारूप–क
(देखिये नियम – 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 व सपठित धारा 23 व 24 के अधीन नोटिस

न्यायालय उपनिवेशन तहसीदार मोहनगढ नं. 2 जिला जैसलमेर (राजस्थान)

प्रकरण सं – 121/26 वर्ष 2026–27 संवत – 2083

राजस्थान सरकार बनाम : – संचालक/प्रबंधक, मदरसा अल–ए–सुन्नत फेज–ई–लकियारी (बरेलवी) चक 9 एसबीएस सदराऊ तह. व जिला जैसलमेर

यतः आपने उपनिवेशन तहसील मोहनगढ नं. 02 के चक 9 एसबीएस के मुरब्बा नम्बर 35/27 जोकि गैरमुमकीन आबादी के नाम दर्ज है जिस पर आप द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना संस्थान के नाम भूमि आवंटित करवाये लगभग 2 बीघा में पक्के कमरे निर्मित कर अवैध मदरसा चलाया जा रहा है। उक्त भूमि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में स्थित है तथा आप द्वारा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन एवं इस विभाग से कोई अनुमति नही ली गई है। उक्त भूमि भारत पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है।

अतः जरिए नोटिस सूचित किया जाता हैं कि आप दिनांक 24.06.2026 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें एवं पक्का निर्माण कार्य स्वयं ही हटा ले अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 24.06.2026 को 10.00 बजे पूर्वाह्न न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार मोहनगढ नं. 2 में हाजिर होवें। तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जायें। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती हैं कि उक्त भूमि पर उक्त अतिचार करने के लिए आप पर क्यो न शास्ति अधिरोपित की जायें। एवं क्यो न अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 एवं राजस्थान भू राजस्व (अतिक्रमणियों के निष्कासन) नियम 1975 एवं अन्य नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायें।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजरी में विनिश्चित किया जावेगा। एवं किया गया समस्त अतिक्रमण जब्त कर लिया जायेगा।

यह नोटिस आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
उपनिवेशन तहसील मोहनगढ न. 2

Scanned with OKEN

प्रारूप–क
(देखिये नियम – 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 व सपठित धारा 23 व 24 के अधीन नोटिस

न्यायालय उपनिवेशन तहसीदार मोहनगढ नं. 2 जिला जैसलमेर (राजस्थान)

प्रकरण सं – 119/26 वर्ष 2026–27 संवत – 2083

राजस्थान सरकार बनाम : – प्रबंधक जामा मस्जिद, सदराऊ (बरेलवी) तह. व जिला जैसलमेर

यतः आपने उपनिवेशन तहसील मोहनगढ नं. 02 के चक 9SBS के मुरब्बा नम्बर 35/35 की अनाधिकृत सरकारी भूमि जो माप से 13000 वर्ग फिट हैं, पर अतिचार करके अवैध मस्जिद का निर्माण किया है। उक्त भूमि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में स्थित है तथा निर्माण के समय जिला प्रशासन एवं इस विभाग से कोई अनुमति नही ली गई है। भारत पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है।

अतः जरिए नोटिस सूचित किया जाता हैं कि आप दिनांक 24.06.2026 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 24.06.2026 को 10.00 बजे **पूर्वाह्न न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार मोहनगढ नं. 2** में हाजिर होवें। तथा यह हेतुक दर्शित करें कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जायें। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती हैं कि उक्त भूमि पर अतिचार करने के लिए आप पर क्यो न शास्ति अधिरोपित की जायें। एवं क्यो न अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 एवं राजस्थान भू राजस्व (अतिक्रमणियों के निष्कासन) नियम 1975 एवं अन्य नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजरी में विनिश्चित किया जावेगा।

यह नोटिस आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
उपनिवेशन तहसील मोहनगढ न. 2

प्रारूप – क

{देखिये नियम 3}

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 व सपठित धारा 23 व 24 के अधीन नोटिस

न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 01/2026 वर्ष 2026–27 संवत 2083

राजस्थान सरकार बनाम :– संचालक/प्रबंधक, (मदरसा अहले सुन्नत फैजे गाउसूल हक सखर नूह मदरसा, चगाणियों की बस्ती, सम) रामतूला खां पुत्र इब्राहिम कौम मुसलमान साकिन चंगाणियों की बस्ती , सम , जैसलमेर

यतः आपने उपनिवेशन तहसील जैसलमेर के चक/ग्राम चगाणियों की बस्ती खसरा न/मुरब्बा न. 81 जोकि सरकारी भूमि के दर्ज है जिस पर आप द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना संस्था के नाम भूमि आंवटित करवाये लगभग 2000 वर्ग फीट पर नाजायज पक्के तामिर निर्मित कर अवैध मदरसा/मस्जिद चलाया जा रहा है उक्त भूमि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में स्थित है तथा आप द्वारा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन एवं इस विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई हैं। उक्त भूमि भारत पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर में स्थित है।

01/16/6/26 अतः जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 30.06.2026 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें एवं पक्का निर्माण स्वयं ही हटा ले अथवा स्वंय या प्लीडर द्वारा दिनांक 30.06.2026 को 10.00 बजे पूर्वाह न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर में हाजिर होवें। तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जायें। आप से हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त अतिचार करने के लिए आप पर क्यो न शास्ति अधिरोपित की जावें। एवं क्यो न अतिकमण के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा एवं राजस्थान भू राजस्व (अतिकमणियों के निष्कासन) नियम 1975 एवं अन्य नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजरी में विनिश्चित किया जावेगा। एवं किया गया समस्त अतिक्रमण जब्त कर लिया जावेगा।

यह नोटिस आज दिनांक 16.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

मोहर

तहसीलदार
उपनिवेशन तहसील जैसलमेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप – क

{देखिये नियम 3}

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 व सपठित धारा 23 व 24 के अधीन नोटिस

न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 04/2026 वर्ष 2026–27 संवत 2083

राजस्थान सरकार बनाम :– संचालक/प्रबंधक, (मदरसा मौलकी, उकरालापार सम जैसलमेर) शुमार अली कौम मुसलमान साकिन उकरालापार , सम , जैसलमेर

यतः आपने उपनिवेशन तहसील जैसलमेर के चक/ग्राम उकरालापार खसरा न/मुरब्बा न. 204 जोकि सरकारी भूमि के दर्ज है जिस पर आप द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना संस्था के नाम भूमि आंवटित करवाये लगभग 54900 वर्ग फीट पर नाजायज पक्के/कच्ची तामिर निर्मित कर अवैध मदरसा/मस्जिद चलाया जा रहा है उक्त भूमि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में स्थित है तथा आप द्वारा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन एवं इस विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई हैं। उक्त भूमि भारत पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर में स्थित है।

अतः जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 30.06.2026 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें एवं पक्का निर्माण स्वयं ही हटा ले अथवा स्वंय या प्लीडर द्वारा दिनांक 30.06.2026 को 10.00 बजे पूर्वाह न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर में हाजिर होवें। तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जायें। आप से हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त अतिचार करने के लिए आप पर क्यो न शास्ति अधिरोपित की जावें। एवं क्यो न अतिकमण के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा एवं राजस्थान भू राजस्व (अतिकमणियों के निष्कासन) नियम 1975 एवं अन्य नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजरी में विनिश्चित किया जावेगा। एवं किया गया समस्त अतिकमण जब्त कर लिया जावेगा।

यह नोटिस आज दिनांक 16.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

मोहर

तहसीलदार
उपनिवेशन तहसील जैसलमेर

प्रारूप – क

{देखिये नियम 3}

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 व सपठित धारा 23 व 24 के अधीन नोटिस

न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 03/2026 वर्ष 2026–27 संवत 2083

राजस्थान सरकार बनाम :– संचालक/प्रबंधक, (मदरसा अहले सुन्नत फैजे रोजे धणी , गजुओं की बस्ती, सम जैसलमेर) मुख्यातार खान कौम मुसलमान साकिन गजुओं की बस्ती सम , जैसलमेर

यतः आपने उपनिवेशन तहसील जैसलमेर के चक/ग्राम गजुओं की बस्ती खसरा न/मुरब्बा न. 477 जोकि सरकारी भूमि के दर्ज है जिस पर आप द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना संस्था के नाम भूमि आंवटित करवाये लगभग 1500 वर्ग फीट पर नाजायज पक्के तामिर निर्मित कर अवैध मदरसा/मस्जिद चलाया जा रहा है उक्त भूमि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में स्थित है तथा आप द्वारा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन एवं इस विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। उक्त भूमि भारत पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर में स्थित है।

03/16/6/26 अतः जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 30.06.2026 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें एवं पक्का निर्माण स्वयं ही हटा ले अथवा स्वंय या प्लीडर द्वारा दिनांक 30.06.2026 को 10.00 बजे पूर्वाह न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर में हाजिर होवें। तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जायें। आप से हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त अतिचार करने के लिए आप पर क्यो न शास्ति अधिरोपित की जावें। एवं क्यो न अतिकमण के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा एवं राजस्थान भू राजस्व (अतिकमणियों के निष्कासन) नियम 1975 एवं अन्य नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजरी में विनिश्चित किया जावेगा। एवं किया गया समस्त अतिकमण जब्त कर लिया जावेगा।

यह नोटिस आज दिनांक 16.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

मोहर

तहसीलदार
उपनिवेशन तहसील जैसलमेर

-1227–10000–2016.

प्रारूप–क

[देखिये नियम 3]

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

न्यायालय तहसीलदार कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार इ.गां.न.प. नाचना–1 (जैसलमेर) जिला

प्रकीण मामला सं. 24 सन् 201 /

राज्य बनाम केस सं.

पुत्र जाति निवासी

यतः आपने कृषि वर्ष संवत 2082 के दौरान तहसील के ग्राम के खसरा नं. 225 की अनाधिकृत सरकारी भूमि जो माप से 80x120= 9600 है पर अतिचार किया है।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 11.12.25 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 11.12.25 को 10.00 AM बजे पूर्वाह्न/अपराह्न हाजिर होवे। तथा यह हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों न कर दिया जायें। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त कृषि वर्ष के दौरान अतिचार करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुने तक शास्ति क्यों न अधिरोपित की जावें।

यह और ध्यान में रखें कि आपने इसी भूमि पर कृषि वर्ष .... में भी अतिचार किया था। यह नोटिस आपको .... वर्ष में पश्चातवर्ती अतिचार करने की बाबत दिया जा रहा है। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की आपके तीन माह की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार सुपुर्द कर दिया जाय तथा वार्षिक लगान या निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति का संवाद करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैरहाजरी में विनिश्चित किया जावेगा।

आज दिनांक 26/11/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से किया गया।

मोहर

तहसीलदार
उपनिवेशन तहसील
इ.गां.न.प. नाचना न.1

मारूफ़ खान का बयान
(मालाणा मस्जिद के ज़िम्मेदार)

मेरा नाम मारूफ खान हे और में इस मस्जिद (मालाणा) का जिम्मेदार हूं

मुझे प्रशासन का फोन आया तो मैंने कहा कि जो भी आपको सही लगे वो आप करिए मुझे कहा गया कि हम मस्जिद को तोड़ेंगे तो हमने कहा कि जो आपको सही लगे वो करिए हमारे मस्जिद के जिम्मेदार और गांव के और लोग भी खड़े थे उनको मैने बोल दिया कि प्रशासन जो करे वो इनको करने दीजिए

नोटिस दिया गया कि और कहा गया कि ये गोचर भूमि है

मस्जिद के साथ मदरसा भी हे जो कि मदरसा बोर्ड से पंजीकृत है

ये मस्जिद मलाणा गांव की मस्जिद हे और बॉर्डर यहां से एक से डेड किलोमीटर दूर है

संदर्भ स्रोत

1. https://youtu.be/o9QiWqV4c-g?si=OekoA2AfNFAtTGc4
2. https://youtu.be/RqRkDOwNSHI?si=n_C8aBeIow48eTKt
3. https://youtu.be/B5GCICfFmEE?si=-BSTdsKdoKFVLP9h

जारीकर्ता:
एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स,
राजस्थान चैप्टर

APCR

Association for Protection of Civil Rights

E-57/1, 4th Floor, Hari Kothi Lane, Abul Fazal Enclave -1, Jamia Nagar, New Delhi-110025
011 - 41052797 apcrindia@gmail.com apcrindia.in